

छत्तीसगढ़ शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 04/02/2025

क्रमांक: एफ 1-07/2018/दो-गृह/भापुसे :: राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अरूण देव गौतम (भापुसे-1992), महानिदेशक, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, नवा रायपुर एवं अतिरिक्त प्रभार संचालक, लोक अभियोजन, नवा रायपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यंत, पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ (पुलिस बल प्रमुख) का कार्यभार सौंपता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अभिजीत सिंह)
विशेष सचिव
गृह (पुलिस) विभाग

पृ0 क्रं: एफ 1-07/2018/दो-गृह/भापुसे
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 04/02/2025

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
4. मान राज्यपाल के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ रायपुर।
5. माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।
6. माननीय उप मुख्यमंत्री के विशेष सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।
7. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।
8. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के निज सहायक, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
9. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर।
10. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता (प्रशासन), छ.स.बल, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़।
12. महालेखाकार छ0ग0 रायपुर।
13. महाधिवक्ता, छ0ग0, उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
14. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
15. समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़।
16. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
17. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़।
18. समस्त सेनानी, सशस्त्र बल, छत्तीसगढ़।
19. आयुक्त, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर।
20. रजिस्ट्रार, छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
21. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नवा रायपुर की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

22. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
23. संबंधित अधिकारी श्री
24. व्यक्तिगत नस्ती लिपिक/पी.ए.आर. लिपिक/अवकाश लिपिक/आदेश नस्त
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
गृह (पुलिस) विभाग